

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा, जिला अलवर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.ए.एस)

दावा संख्या

दायर दिनांक

अन्तिम निर्णय दिनांक

1/90

12.06.2024

31.01.2025

बसुनवान

1. रेखा यादव पत्नि भयराम यादव
2. भयराम यादव पुत्र दलीपसिंह निवासीयान ग्राम इकरोटिया तह0 कोटकासिम जिला अलवर, हाल निवासी 422 स्कीम नं0 8 गांधी नगर अलवर तह0 व जिला अलवर

---वादीगण

बनाम

1. इन्दल चौधरी पुत्र भेजाराम जाट
2. कल्ली पत्नि स्व0 रामखिलाडी जाट
3. कैलाश चन्द पुत्र श्रीराम जाट निवासीयान ग्राम हल्दीना तह0 मालाखेडा जिला अलवर
4. गुलाब पुत्री श्रीराम जाति जाट पत्नि हंसराज हाल निवासी जाट मौहल्ला मोलिया तह0 लक्ष्मणगढ जिला अलवर
5. चंदन सिंह पुत्र रामखिलाडी जाट
6. चमेली देवी पत्नि भोजाराम जाट निवासीयान ग्राम हल्दीना तह0 मालाखेडा जिला अलवर
7. चांदबाई पुत्री श्रीराम जाट पत्नि मनसा निवासी जाट मौहल्ला मोलिया तह0 लक्ष्मणगढ जिला अलवर
8. दयाकिशन पुत्र श्रीराम जाट
9. प्रकाश पुत्र रामखिलाडी जाट निवासीयान ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा जिला अलवर
10. बनवारी पुत्र रामखिलारी जाट निवासीयान ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा जिला अलवर
11. विमला पुत्री श्रीराम जाट पत्नि मनसा निवासी जाट मौहल्ला मोलिया तह0 लक्ष्मणगढ जिला अलवर
12. मुकेश देवी पुत्री भोजाराम जाट पत्नि कप्तान निवासी ग्राम कोकला का नंगला तह0 डीग जिला भरतपुर
13. राजेश पुत्री भोजाराम जाट पत्नि देवेन्द्र निवासी ग्राम कोकला का नंगला तह0 डीग जिला भरतपुर
14. लोकेन्द्र सिंह पुत्र लालसिंह जाट निवासी ग्राम कारोली पो0 गारू तहसील कठूमर जिला अलवर
15. वीरबहादुरसिंह पुत्र लालसिंह जाट निवासी ग्राम कारोली तह0 कठूमर जिला अलवर
16. सिब्बा देवी पुत्री भोजाराम जाट पत्नि राजेन्द्र हाल निवासी डोलीखेडी तह0 रामगढ जिला अलवर

---प्रतिवादीगण

17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा

---तरतीबी प्रतिवादी



दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम


उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर) राज०

—:अन्तिम निर्णय:—

वादीगण ने अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1272 रकबा 0.1800 है0, 1273 रकबा 0.0600 है0, 1274 रकबा 0.6700 है0, 1275 रकबा 0.7300 है0, 1276 रकबा 0.0100 है0, 1277 रकबा 1.4200 है0, कुल खसरा 6 कुल रकबा 3.0700 है0, वाके ग्राम हल्दीना तह0 मालाखेडा का अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी में से बुरी बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस तकारामा करने का निवेदन किया। वादी को सुनकर वाद दिनांक 17.09.2024 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी के विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मालाखेडा को लिखा गया। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा विवादित आराजी के विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत कुरेजात का अवलोकन किया। वादी के अधिवक्ता ने कुरेजात सही होना स्वीकार किया एवं मुताबिक कुरेजात वाद अन्तिम डिक्री का निवेदन किया। अतः वाद वादी मुताबिक कुरेजात निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि:-

1. आराजी खसरा नम्बर 1272 रकबा 0.18 है0, 1273/1 रकबा 0.04 है0, 1274/1 रकबा 0.20 है0, 1275/1 रकबा 0.43 है0, 1277/1 रकबा 0.67 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.52 है0 बहक रेखा यादव पत्नि भयराम यादव जाति अहीर हि0 1/2 सा0 इकरोटिया तह0 कोटकासिम जिला अलवर हाल निवासी 422 स्कीम नम्बर 8 गांधी नगर अलवर, भयराम यादव पुत्र दलीप सिंह हि0 1/2 जाति अहीर सा0 इकरोटिया तह0 कोटकासिम जिला अलवर हाल निवासी 422 स्कीम नम्बर 8 गांधी नगर अलवर, खातेदार रेखा यादव हि0 1/2 राहिन वीआरकेजीवी शाखा हल्दीना खातेदार रहेगें।
2. ख0न0 1275/2 रकबा 0.30 है0, 1277/2 रकबा 0.75 है0, 1274/2 रकबा 0.47 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.52 है0 बहक इन्दल चौधरी पुत्र भोजाराम, चमेली देवी पत्नि भोजाराम, राजेश, सिब्बा देवी, मुकेश देवी पुत्रीयान भोजाराम स0भा0 हि0 1/7 सा0 देह जाति जाट, कैलाश चन्द, दयाकिशन पुत्रान श्रीराम, गुलाब, चांदबाई, बिमला पुत्रीयान श्रीराम स0भा0 हि0 5/7 जाति जाट सा0 देह, चन्दन सिंह, प्रकाश, बनवारी पुत्रान रामखिलारी, कल्ली पत्नि रामखिलारी स0भा0 हि0 4/35 जाति जाट सा0 देह, लोकेन्द्र सिंह, वीरबहादुर सिंह पुत्रान लालसिंह स0भा0 हि0 1/35 जाति जाट सा0 कारोली तह0 कटूमर खातेदार रहेगें।
3. आराजी ख0न0 1273/2 रकबा 0.02 के रेखा यादव पत्नि भयराम यादव हि0 1/4 राहिन वीआरकेजीवी शाखा हल्दीना, भयराम यादव पुत्र दलीप सिंह यादव हि0 1/4 जाति अहीर सा0 ग्राम इकरोटिया तह0 कोटकासिम हाल निवासी 422 स्कीम नम्बर 8 गांधी नगर अलवर, इन्दल चौधरी पुत्र भोजाराम, चमेली देवी पत्नि भोजाराम, राजेश, मुकेश देवी, सिब्बा देवी पुत्रीयान भोजाराम स0भा0 हि0 1/14 जाति जाट सा0 देह, कैलाश चन्द, दयाकिशन पुत्रान श्रीराम, गुलाब, चांदबाई, बिमला पुत्रीयान श्रीराम स0भा0 हि0 5/14 जाति जाट सा0 देह चन्दन सिंह, प्रकाश, बनवारी पुत्रान रामखिलारी, कल्ली पत्नि रामखिलारी स0भा0 हि0 4/70 जाति जाट सा0 देह, लोकेन्द्र सिंह, वीरबहादुरसिंह पुत्रान लालसिंह जाति जाट सा0 देह हि0 1/70 सा0 कारोली तह0 कटूमर जिला अलवर खातेदार रहेगें।

तदानुसार ही राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद किया जावें। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

(नवज्योति कवरिया)

उपखण्ड अधिकारी R.A.S
मालाखेडा (अलवर) जिला
मालाखेडा

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कवरिया)

R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर) राज0